



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 572 राँची, शुक्रवार,

6 सितम्बर, 2024 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

अधिसूचना

30 अगस्त, 2024

सं०-सी०एस०-01/आर०-06/2024-1252.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली-2000 के नियम 6(1) में निहित प्रावधानों के तहत, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड की अधिसूचना संख्या- 930, दिनांक-08.07.2024 द्वारा आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री झारखण्ड की सलाह से झारखण्ड के राज्यपाल, मंत्रीगण को सरकार के विभागों का कार्य निम्नलिखित रूप से आवंटित करते हैं :-

क्र.	मंत्री	विभाग का नाम
1.	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री	1. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 2. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
2.	श्री हफीजुल हसन, मंत्री	1. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 2. निबंधन विभाग 3. नगर विकास एवं आवास विभाग
3.	श्री रामदास सोरेन, मंत्री	1. जल संसाधन विभाग 2. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

2. इस संबंध में, पूर्व में निर्गत अधिसूचना द्वारा आवंटित सरकार के विभागों का शेष कार्य यथावत् रहेंगे।

3. इसे तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
